छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2011
(फाल्गुन-2, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. शपथ

विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-59, संजारी बालोद से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती कुमारी मदन साहू ने शपथ ली तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 तथा 06 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री लेखराम साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रविन्द्र चौबे के स्थान पर श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

4.व्यवस्था

प्रश्नों में संशोधन एक दिन पूर्व आना चाहिए

माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा आसंदी से यह आग्रह किये जाने पर कि प्रश्नों पर संशोधन जिस दिन सदन शुरू होता है, उसी दिन माननीय मंत्रिगण के द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण परेशानियां होती है। उन्होंने आसंदी से इस संबंध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- यदि माननीय मंत्रिगण संशोधन देना चाहते हों, तो एक दिन पूर्व दें और वे भी कोई छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटि हो, उसी पर दें। इस बात को मंत्रिगण ध्यान में रखें कि संशोधन एक दिन पूर्व आ जाए।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(1) वित्त लेखे खण्ड (1) तथा खण्ड (2) वर्ष 2009-2010 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा

(2) विनियोग लेखे वर्ष 2009-2010 (छत्तीसगढ़ शासन)

(2) श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 एवं 2007-08,

पटल पर रखे।

6. महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक पर तथा तृतीय विधान सभा के दिसम्बर, 2010 में पारित सभी 05 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा द्वितीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक पर तथा तृतीय विधान सभा के दिसम्बर, 2010 में पारित सभी 05 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने जिला रायगढ़ में संचालित उद्योगों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के मापदण्डों का पालन न किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों व सुरक्षा जवानों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास

(2) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी

(3) श्री मोहम्मद अकबर

(4) श्री गुरु रुद्र कुमार

(5) श्री चैतराम साहू

9. वर्ष 2010-2011 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 67, 80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह सौ उनचास करोड़, बयासी लाख, सत्तर हजार, छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री परेश बागबाहरा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, (डॉ.) शक्राजीत नायक, संतोष बाफना,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (7) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री लखमा कवासी, विरेन्द्र कुमार साहू, दूजराम बौद्ध, फूलचंद सिंह, मोहम्मद अकबर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2011 (क्रमांक-1 सन् 2011)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2011 (क्रमांक-1 सन् 2011) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2011 (क्रमांक-1 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

अपराह्न 2.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 22 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा